खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

छत्तीसगढ़ अमृत (नमक) वितरण योजना

मार्गदर्शी सिद्धांत

प्रदेश के जनजातीय विकासखण्डों में निवासरत गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों को रियायती दर पर नमक उपलब्ध करा अतिरिक्त आय का अंतरण करने तथा उन्हें घेंघा रोग जैसी बीमारियों से बचाने हेतु छत्तीसगढ़ अमृत (नमक) वितरण योजना का कियान्वयन दिनांक 26 जनवरी, 2004 से किया जावेगा ।

उद्देश्यः–

प्रदेश के जनजातीय विकासखण्डों के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत निर्धन परिवारों को 25 पैसे प्रति किलो की दर से आयोडाईज्ड नमक उपलब्ध कराना है ।

योजना का विस्तार –

योजना के प्रथम चरण में प्रदेश के 85 आदिवासी विकासखण्डों में इसे लागू किया जावेगा तथा भविष्य में इस योजना का विस्तार प्रदेश के समस्त बी.पी.एल. परिवारों के लिए करने पर विचार किया जावेगा ।

हितग्राही –

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बी. पी. एल., अन्त्योदय अन्न योजना एवं अन्नपूर्णा योजना के समस्त राशनकार्डधारी इस योजना के हितग्राही होंगे ।

नमक की पात्रता एवं दर –

योजना का उद्देश्य हितग्राहियों को आवश्यकतानुसार आयोडाईज्ड नमक उपलब्ध कराना है अतः प्रत्येक हितग्राही परिवार को 25 पैसे प्रति किलो की दर से प्रति माह दो किलो नमक की पात्रता होगी ।

नमक का आबंटन एवं उठाव –

1. खाद्य संचालनालय द्वारा प्रदेश में प्रचलित बी.पी.एल., अन्त्योदय अन्न योजना एवं अन्नपूर्णा योजना के राशनकार्डों की संख्या के अनुसार जिलावार आबंटन जारी किया जावे ।

2. जिले की नमक की पात्रता की गणना प्रति हितग्राही परिवार दो किलो प्रति माह के मान से किया जाए ।

3. कलेक्टरों द्वारा जिलों में प्रचलित बी.पी.एल., अन्त्योदय अन्न योजना एवं अन्नपूर्णा योजना के राशनकार्डों की संख्या के अनुसार विकासखण्डवार नमक का उप आबंटन जारी किया जावे ।

4. योजना हेतु आवश्यक आयोडाईज्ड नमक का उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किया जावे । निगम द्वारा प्रत्येक माह के आबंटन के अनुरूप नमक का उपार्जन कर वितरण हेतु अपने प्रदाय केन्द्रों में उपलब्ध कराया जावे ।

5. जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली अन्य आवश्यक वस्तुओं की भांति नमक के उठाव की प्रक्रिया होगी ।

6. कलेक्टर, जिला प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, लीड एवं लिंक सहकारी समितियां तथा उचित मूल्य दुकानों का यह उत्तरदायित्व होगा कि आबंटन के अनुरूप नमक माह के प्रथम सप्ताह में उचित मूल्य दुकान पर उपलब्ध हो ।

7. आयोडाईज्ड नमक का वितरण मात्र उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से हितग्राहियों को किया जावे ।

आबंटन कार्ड –

इस योजना हेतु पृथक आबंटन कार्ड जारी नहीं किया जाएगा तथा हितग्राहियों के राशनकार्ड पर ही वितरित नमक की मात्रा एवं मूल्य का इन्द्राज उचित मूल्य दुकानदार द्वारा किया जावेगा । हितग्राहियों द्वारा राशनकार्ड प्रस्तुत करने पर ही योजनांतर्गत उन्हें पात्रतानुसार नमक प्राप्त करने का अधिकार होगा ।

नमक का उपार्जन –

योजना हेतु आवश्यक नमक का उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किया जावेगा । नमक का उपार्जन राष्ट्रीय स्तर पर निविदा सूचना जारी कर निगम द्वारा किया जावेगा ।

नमक का मूल्य निर्धारण एवं हानि की प्रतिपूर्ति –

योजनांतर्गत वितरित किए जाने वाले नमक के क्रय मूल्य के अतिरिक्त रेलवे परिवहन व्यय, एच. एण्ड टी. व्यय, सड़क परिवहन व्यय आदि का निर्धारण वित्त विभाग, खाद्य विभाग एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों की एक समिति द्वारा किया

जावे। इस समिति द्वारा उपार्जित नमक के वास्तविक मूल्य का निर्धारण किया जावेगा तथा नमक के विक्रय मूल्य एवं वास्तविक क्रय मूल्य के अंतर की राशि हानि प्रतिपूर्ति के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को देय होगी ।

परिवहन –

नमक के परिवहन हेतु रेलवे रेक को प्राथमिकता दी जावे तथा राज्य के रेलवे रेक पांइट में आवश्यकतानुसार नमक छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा परिवहन कराया जावे । रेलवे रेक के त्वरित आरक्षण न मिलने की स्थिति में सड़क परिहवन के माध्यम से नमक की उपलब्धता छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा सुनिश्चित की जावेगी ।

निर्गम मूल्य –

योजनांतर्गत वितरित किए जाने वाले नमक के मूल्य निर्धारण हेतु गठित समिति की अनुशंसानुसार वितरित किए जाने वाले नमक का नागरिक आपूर्ति निगम की एक्स गोदाम दर, लीड समितियों के परिवहन व्यय एवं कमीशन तथा उचित मूल्य दुकान का कमीशन निर्धारित किया जावे ।

पर्यवेक्षण –

योजना का सफल एवं दीर्घकालीन कियान्वयन समुचित सहयोग, प्रोत्साहन और पर्यवेक्षण पर निर्भर है । इस योजना के पर्यवेक्षण हेतु निम्न व्यवस्था कराई जावे –

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य दुकान स्तर पर गठित निगरानी समितियों को योजना के हितग्राहियों तथा हितग्राहियों की नमक की पात्रता तथा इसके उपभोक्ता मूल्य की समुचित जानकारी उपलब्ध कराई जावे ।
2. योजनांतर्गत प्रदाय किए जाने वाले आयोडाईज्ड नमक हेतु जिला खाद्य कार्यालय, नागरिक आपूर्ति निगम के जिला कार्यालय, उठाव एवं परिवहन करने वाली संबंधित एजेन्सियों तथा उचित मूल्य दुकान में पृथक आबंटन एवं वितरण रजिस्टर तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों का संधारण किया जाए ।
3. जिले द्वारा प्रत्येक माह उठाए गए नमक का उपयोगिता प्रमाण–पत्र आगामी माह के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रूप से भेजा जावे ।
4. पी.डी.एस. कन्ट्रोल आर्डर 2001 के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में जिलों द्वारा खाद्य संचालनालय एवं नागरिक आपूर्ति निगम को प्रति माह प्रस्तुत खाद्यान्न के उपयोगिता

प्रमाण–पत्र की भांति इस योजना के नमक का मासिक उपयोगिता प्रमाण–पत्र भी जिला खाद्य कार्यालय द्वारा प्रत्येक माह खाद्य संचालनालय एवं नागरिक आपूर्ति निगम को उपलब्ध कराया जाए ।

5. राज्य, जिला एवं अनुविभाग स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की साप्ताहिक समीक्षा बैठकों में योजना की नियमित समीक्षा की जाए ।

6. योजना के किसी भी स्तर पर नमक के व्यपवर्तन अथवा दुरूपयोग अथवा योजना के निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधितों के विरूद्ध तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जाए ।

<u>प्रचार</u> –

यह शासन की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है जिसकी सफलता योजना के हितग्राहियों का निर्धारण, उनकी पात्रता तथा नमक के उपभोक्ता मूल्य के पर्याप्त प्रचार–प्रसार पर निर्भर करती है । अतः समस्त जिला कलेक्टर इस योजना के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार हेतु समुचित उपाय करेंगे ।

सही/–
(डॉ. बी. एस. अनंत)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग